## बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक—प्र05(2)बजट(योजना)—06/2010 72(अनु०) खाद्य,पटना—15,दिनांक 02/03/16

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव—सह—
निकासी एवं व्यय पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः— राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार, उप मुख्यशीर्ष 01—खाद्य, लघु शीर्षः—101 प्रापण तथा पूर्ति, **मांग संख्या—18**, उप शीर्ष 0103 धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता, विपत्र कोड **सं0—पी0—2408011010103, विषय शीर्ष 33—01 सब्सिडी** इकाई में वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए कुल **2,22,68,00,000 (दो अरब बाईस करोड़ अड़सड लाख)** रूपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए विषयांकित शीर्ष मे पुनविर्नियोग के माध्यम से प्राप्त **2,22,68,00,000 (दो अरब बाईस करोड़ अड़सड लाख)** रूपये मात्र को वित्त विभागीय पत्रांक—2561 दिनांक—17.04.1998, पत्रांक—396/वि0 दिनांक—24.04.2015 एवं 3429/वि0 दिनांक 01.04.2015 के आलोक में आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. आवंटित राशि राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 2408 खाद्य भंडारण एवं भांडागार, उप मुख्यशीर्ष 01— खाद्य, लघुशीर्ष 101 प्रापण तथा पूर्ति, उपशीर्ष 0103 मांग संख्या— 18 विपत्र कोड सं0—पी0 2408011010103 धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015—16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0—495 दिनांक 02.03.2016 के लिए 1,00,00,03,300 (एक सौ करोड तीन हजार तीन सौ) एवं 496 दिनांक 02.03.2016 के लिए 1,22,67,96,000 (एक अरब बाईस करोड सडसठ लाख छियानवे हजार) द्वारा राशि को व्यय करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

d/sec5/budget15-16/allotment page no115

5. इस राशि की निकासी विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी ।

6. वित्तीय वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्च का आकलन कर यदि राशि अवशेष रहने की संभावना हो तो उक्त राशि को ससमय प्रत्यार्पित करेंगे ।

7. दिये जा रहे आवंटन में सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

8. विभागीय आदेश ज्ञापांक 8422 दिनांक 27.10.2015 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जा रहा है ।

विश्वासभाजन

2/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र05(2)बजट(योजना)–06/2010 72(अनु) खाद्य,पटना–15,दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र05(2)बजट(योजना)–06/2010 72(अनु) खाद्य,पटना–15,दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र05(2)बजट(योजना)–06/2010 72(अनु) खाद्य,पटना–15,दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र05(2)बजट(योजना)–06/2010 72(अनु) खाद्य,पटना–15,दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी 05 एवं 10 तथा आई0टी0 मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव ।